

# FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर)

..... बनावत ..... बनावत .....  
..... नं. 56 ..... सन् 2018  
किस्म मुकदमा ..... प्रार्थनापत्र दुम्माधोवमानना

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम अ हुक
31.08.2022	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने अवगत कराया कि प्रार्थना पत्र बाबत अवमानना से सम्बन्धित मूल वादपत्र वकुलाय उभय पक्षकारान् ने आपसी सहमति से वादपत्र के बंटवारा से सम्बन्धित होने से विधिक विभाजन हेतु अपनी-अपनी सहमति व्यक्त कर दिये जाने तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो जाने से वादपत्र में आज अन्तिम डिकी जारी की जा चुकी है। अतः ऐसी स्थिति में इस प्रार्थना पत्र बाबत अवमानना को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र बाबत अवमानना इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p>	

  
(दिलीप सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)